



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58432-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3371 वर्ष 2026

विजय मौर्य और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अमरीश चंद्र उपाध्याय

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोषों की मांग की है:

i) दिनांक 31.12.2025 को दर्ज की गई आक्षेपित एफ.आई.आर. जो मुकदमा अपराध संख्या 0314/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 127(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. पुलिस स्टेशन-कोतवाली, जिला-बुदाउन, के रूप में पंजीकृत है, को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ii) याचिकाकर्ताओं को दिनांक 31.12.2025 को दर्ज एफ.आई.आर. (मुकदमा अपराध संख्या 0314/2025, धारा 115(2), 127(2), 351(2), 352, बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन-कोतवाली, जिला-बुदाउन) के तहत गिरफ्तार न करने का आदेश देने हेतु प्रतिवादियों को परमादेश जारी किया जाए।

संक्षेप में, एफ.आई.आर. में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं सहित आरोपियों ने घायल व्यक्ति के साथ दुर्यवहार और मारपीट की। पीड़ितों को चोटें आईं और बाद में उन्हें अस्पताल में चिकित्सा सहायता दी गई।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरीश चंद्र उपाध्याय की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री हरेंद्र प्रसाद का कहना है कि एफ.आई.आर. दुर्भावना से प्रेरित है और ग्रामीण प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है।

इसके विपरीत, राज्य के विद्वान एजीए ने निर्देशों के आधार पर कहा कि एफ.आई.आर. और साथ ही रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने की पुष्टि करती है। विवेचना जारी है। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी। एफ.आई.आर. को चुनौती देने और अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के मामले की विवेचना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (1992 सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 335)** और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य (2021) 19 एस.सी.सी. 401)** में दिए गए कानूनी निर्णयों के आलोक में की जानी चाहिए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अध्ययन किया। प्रथम दृष्टया एफ.आई.आर. संज्ञेय अपराधों के घटित होने का संकेत देती है और इसकी विवेचना आवश्यक है। इस स्तर पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से न केवल विवेचना में बाधा आएगी, बल्कि साक्ष्यों के खो जाने या गुम हो जाने का खतरा भी है। इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, ऐसा करना **भजन लाल (उपरोक्त)** और **नीहारिका (उपरोक्त)** मामलों में दिए गए कानूनी निर्णयों के विरुद्ध होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द किए जाने के आधारों को बताते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **भजन लाल (उपरोक्त)** मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"102. संहिता के अध्याय XIV के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के संदर्भ में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हमने उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



या कठोर सूत्र निर्धारित करना और उन असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके मूल रूप में लिया जाए और स्वीकार किया जाए कुल मिलाकर, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं होता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री (यदि कोई हो) में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जिससे संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को उचित ठहराया जा सके, सिवाय संहिता की धारा 155(2) के दायरे में आने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के।

(3) जहाँ एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहाँ एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहाँ संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई हो और/या जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के प्रभावी निवारण का विशिष्ट प्रावधान हो।

(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या जहाँ कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने और निजी द्वेष के कारण उसे परेशान करने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण ढंग से शुरू की गई हो।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

103. हम यह चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयमपूर्वक और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, और वह भी दुर्लभतम मामलों में ही; न्यायालय एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता या अन्यथा की जाँच करने में उचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं देती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने **नीहारिका (उपरोक्त)** मामले में कानून को इस प्रकार स्पष्ट किया:

"33.16. उपर्युक्त मापदंड लागू होंगे और/या उपर्युक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द करने की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि, रद्द करने की याचिका लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है। इस प्रकार का अंतरिम आदेश नियमित रूप से, लापरवाही से और/या यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना चल रही हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से बचना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को या तो विवेचना के दौरान या विवेचना पूरी होने तक और/या धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल होने तक, धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को खारिज करते/निस्तारण के दौरान गिरफ्तारी न करने और/या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का आदेश पारित नहीं करना चाहिए और इस प्रकार यह उचित नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भजन लाल (उपरोक्त)** और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त)** मामलों में दिए गए निर्णय इस मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से रोकते हैं।

इसी कारण से एफ.आई.आर. को रद्द करने की राहत भी अस्वीकार की जा सकती है।

तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति) (अजय भनोट, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

आशीष त्रिपाठी

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”